



2026:AHC:172991

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या - 765 वर्ष 2026

शिवपूजन चौधरी

.....आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता : धर्निधर पाण्डेय, कमल कुमार सिंह, लकी केशरी,
राजेश यादव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 93

माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय

1. यह आवेदक की ओर से दायर दूसरा ज़मानत प्रार्थना-पत्र है। पहला ज़मानत प्रार्थना-पत्र आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत प्रार्थना-पत्र संख्या 40567/2025 18.11.2025 के आदेश से खारिज कर दी गई थी।
2. आवेदक के अधिवक्ता और राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से एजीए के तर्क सुने गए और अभिलेख देखा गया।
3. यह दूसरा ज़मानत प्रार्थना-पत्र आरोपी-आवेदक **शिवपूजन चौधरी** की ओर से दायर किया गया है। इसमें आपराधिक वाद संख्या 170/2025 (धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 118(1), 109(1), 324(5), 352, 351(3), 140(1) और 126(2) बीएनएस, थाना- डुमरियागंज, ज़िला- सिद्धार्थनगर) में विचारण के दौरान ज़मानत पर रिहाई की मांग की गई है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. संक्षेप में, प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के अनुसार, 11.09.2025 को जब शिकायतकर्ता के भाई कार से लौट रहे थे, तो आरोपियों ने उन्हें रोका, गाली-गलौज की और लाठी-डंडे व अन्य हथियारों से हमला किया। उन्होंने उन्हें कार से बाहर खींचा और नेबुआ गाँव की ओर ले गए, जहाँ उन्हें फिर से पीटा गया और जान से मारने की धमकी दी गई, जिससे उन्हें चोटें आईं और एक सोने की चेन का नुकसान हुआ।

5. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फँसाया गया है। घायल व्यक्तियों को आई चोटें मामूली हैं और जानलेवा नहीं हैं; चिकित्सीय राय से पता चलता है कि चोटें किसी कठोर और कुंद चीज़ से लगी थीं। आगे यह भी कहा गया है कि जाँच के दौरान, शिकायतकर्ता ने विवेचनाधिकारी को बताया था कि घायल व्यक्तियों को चोटें उनकी गाड़ी की टूटी हुई खिड़की के शीशे से लगी थीं, जो बचाव पक्ष के इस दावे का समर्थन करता है कि चोटें कार दुर्घटना में लगी थीं। इसके अलावा, आरोपी-आवेदक का द्युत अधिनियम के तहत अपराध का केवल एक ही पुराना अभिलेख है, जिसके बारे में पहले ही बताया जा चुका है। आवेदक 15.09.2025 से जेल में है। जांच पूरी हो चुकी है और आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। आवेदक ने कथित अपराध नहीं किया है और इस बात की कोई संभावना नहीं है कि वह साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा या साक्षियों को प्रभावित करेगा। तर्क यह है कि मुकदमे के फैसले में काफी समय लगेगा और जमानत पर रिहा होने पर उसके न्याय की प्रक्रिया से भागने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए, जमानत की मांग की गई है।

6. इसके विपरीत, विद्वान एजीए ने आवेदक की जमानत की मांग का विरोध करते हुए कहा कि आवेदक का पहला जमानत प्रार्थना-पत्र पहले ही खारिज हो चुकी है और परिस्थितियों में कोई खास बदलाव नहीं दिखाया गया है। इसके अलावा, मुकदमे से पहले के चरण में आवेदक के निर्दोष होने का फैसला नहीं किया जा सकता है, इसलिए वह किसी रियायत का हकदार नहीं है। अगर आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से ऐसी ही गतिविधियों में शामिल होगा और जमानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल करेगा।

7. इन तर्कों पर विचार करने के बाद कि आरोपी-आवेदक और अन्य आरोपी व्यक्तियों के नाम प्राथमिकी में हैं। यह माना गया है कि जांच पूरी होने के बाद, विवेचनाधिकारी ने आरोपी-आवेदक और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। हालांकि पीड़ित, संदीप



त्रिपाठी ने आरोपी-आवेदक शिव पूजन चौधरी की एक खास और अलग भूमिका बताई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उसने धारदार हथियार से चोट पहुंचाई थी, लेकिन विद्वान एजीए से मिली जानकारी के अनुसार, इस मामले में कोई धारदार हथियार बरामद नहीं हुआ है। इसके अलावा, घटना में दोनों पक्षों को चोटें आईं और दोनों पक्षों के बीच प्रतिपक्षीय वाद हैं। ऐसा ही एक आपराधिक मामला, आपराधिक वाद संख्या 171/2025, इसी घटना के संबंध में जितेंद्र चौधरी द्वारा एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज कराया गया है। यह बात मानी गई है कि मारपीट की घटना से पहले, उप 43 डब्लू 8338 पंजीकरण संख्या वाली एक ऑल्टो गाड़ी की टक्कर हुई थी, जिसके बाद झगड़ा हुआ। शिकायतकर्ता ने अपने बयान में कहा है कि घायल व्यक्ति को लगी चोट, गाड़ी के दरवाजे के टूटे हुए शीशे से लगी थी; यह शीशा दुर्घटना के समय तब टूटा था जब घायल व्यक्ति को दरवाजे से बाहर निकाला जा रहा था। इस मामले में आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है और विचारण न्यायालय की आख्या के अनुसार, 13.08.2026 को आरोप तय किए गए हैं। प्राथमिकी में अभियोजन पक्ष के 35 साक्षियों के नाम हैं, जिनमें से 17 साक्षियों से पहले ही पूछताछ की जा चुकी है। इसके अलावा, आरोपी आवेदक का आपराधिक इतिहास केवल एक मामले का है, जो द्युत अधिनियम के तहत अपराध से संबंधित है। आरोप पत्र में दी गई जानकारी के अनुसार, आरोपी आवेदक की उम्र 50 साल से ज्यादा है और वह 15.09.2025 से जेल में है। विचारण पूरा होने में लगने वाले समय की अनिश्चितता, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक उद्देश्य, उच्चतम न्यायालय के **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तक निदेशालय 2024 (एससीसी) लॉसूट 677** मामले में प्रस्तर 53, **भारत संघ बनाम के.ए. नजीब (2021) 3 एससीसी 713** और **सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य (2022) 10 एससीसी 51** मामलों में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय दिए बिना, उक्त अपराध में शामिल आवेदक को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि की दो भारी जमानतदार जमा करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते कि:-

- (i) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही साक्षियों को धमकाएगा।
- (ii) आवेदक एक वचन-पत्र देगा कि जब गवाह न्यायालय में मौजूद हों, तो वह साक्ष्य के लिए तय तारीखों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा।



(iii) आवेदक तय तारीखों पर विचारण न्यायालय के सामने व्यक्तिगत रूप से या संबंधित न्यायालय के निर्देशानुसार मौजूद रहेगा।

(iv) आवेदक विचारण न्यायालय के सामने इन तारीखों पर व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहेगा: (i) वाद की शुरुआत, (ii) आरोप तय करना और (iii) अपने खिलाफ साक्ष्यों में सामने आई परिस्थितियों को समझाने के लिए आरोपी का बयान दर्ज करना।

(v) अगर आवेदक विचारण के दौरान ज़मानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए विचारण न्यायालय विधि के अनुसार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू करेगा।

8. ऊपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह विचारण न्यायालय द्वारा ज़मानत निरस्त करने का आधार होगा।

9. बंधपत्र स्वीकार करने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और ज़मानतदारों की पहचान और पते के साक्ष्य की पुष्टि की जाएगी।

(न्यायमूर्ति संतोष राय)

अगस्त 17, 2026

अंकित